

जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रहे

श्री रघुवीर सैनी का कार्यकाल बना मील का पत्थर!!!

भूमाफियाओ और अवैध निर्माण करने वालों के लिए

खौफ का पर्याय बने श्री सैनी का कार्यकाल रहेगा यादगार!!

श्री सैनी द्वारा खींची गई लकीर से बड़ी लकीर खींचना

नए आने वाले अधिकारियों के लिए चुनौती!!



सल्यूट!!! बुलडोजर कांप!!!

जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रहे श्री रघुवीर सैनी का कार्यकाल बना मील का पत्थर!!!

जेडीए में अन्य विभागों से अधिकारियों का ट्रांसफर होकर, आना-जाना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन बमुश्किल ही ऐसे चुनिंदा अधिकारी होते हैं जिनके कार्यकाल को मील का पत्थर माना जा सकता है और जिनके चर्चे कई सालों तक लोग सुनाते रहते हैं, ऐसे ही एक अधिकारी का हाल ही में जेडीए से तबादला किया गया है, लेकिन उनके तबादले की खबर से जहाँ शहर के



भूमाफियाओ, अवैध निर्माणकर्ताओ और अतिक्रमियों ने राहत की सांस ली है वही, जयपुर को एक सुनियोजित शहर का सपना देखने वाले जिम्मेदार नागरिकों में बेचैनी बढ़ा दी है। जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक के पद पर लगातार साढ़े चार वर्ष तक कायम रहे, इन अधिकारियों का नाम है “ श्री रघुवीर प्रसाद सैनी”। श्री सैनी का साढ़े चार का कार्यकाल, जेडीए के इतिहास में एक ऐसी लकीर खींच कर गया है, जिससे बड़ी लकीर खींचना इस पद पर आने वाले किसी अन्य अधिकारी के लिए एक चुनौती से कम नहीं है।

प्रवर्तन मतलब मलाईदार पोस्टिंग।

वर्तमान में जेडीए के प्रवर्तन महकमे में आई.जी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डिप्टी पुलिस अधीक्षक और पुलिस निरीक्षकों के लिए करीब दो दर्जन अधिकारियों के पद सर्जित हैं और यहाँ पर तबादला करवाने के लिए राजस्थान के कई पुलिस अधिकारियों जेक-चेक का बखूबी इस्तेमाल भी करते रहे हैं, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते में तबादला होकर आने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए यह एक मलाईदार पोस्ट मानी जाती है। पूर्व में यहाँ पर आने वाले अधिकारियों की गाड़ियाँ, कार्यवाही-कम और माल-ज्यादा बटोरती थी लेकिन साढ़े चार साल



पहले, जबसे जेडीए मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक के पद पर श्री सैनी की तैनातगी हुई, तबसे जेडीए में माल बटोरने का सपना लेकर आने वाले अधिकारियों के पसीने छूटने लग गए और कई अधिकारियों ने तो जेडीए से अपना तबादला करवाना ही मुनासिब समझा।

शुद्ध मंशा, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही

श्री सैनी ने जेडीए में आते ही अपने ब्रह्म वाक्यों शुद्ध मंशा, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही का ऐसा पाठ, अपने मातहतों को पढ़ाया, जिसके चलते उनका साढ़े चार साल का कार्यकाल भूमाफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं के लिए खौफ का पर्याय बन गया।

JDA रिजन में अवैध निर्माण, अतिक्रमण एक विकराल समस्या

करीब पाँच साल पहले JDA रिजन में अवैध निर्माण, अतिक्रमण जैसी समस्या एक विकराल रूप ले चुकी थी। गली-मोहल्लों में भूमाफिया अपनी मनमर्जी से बिल्डिंगें बनाने में तल्लीन थे, शहर का ऐसा कोई कोना नहीं था, जहाँ पर अतिक्रमण नहीं हो रखे थे, शहर के बाहर भूमाफिया अवैध रूप से कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियाँ काटने में दिन रात बीजी रहते थे।

जीरो टोलरेंस की नीति और “ऑपरेशन वज्र प्रहार”

लेकिन श्री सैनी ने अपना पदभार संभालते ही जीरो टोलरेंस की नीति पर काम करते हुए, जहाँ एक और सरकारी जमीनो पर अतिक्रमण करने वालों, अवैध फ्लेट्स/व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने

वालों और अवैध कॉलोनियाँ काटने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी वहीं दूसरी तरफ “ऑपरेशन वज्र प्रहार” के तहत शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी भूपेन्द्र सारण के निजी आवास, इस कांड में शामिल मुख्य अभियुक्तों द्वारा संचालित “अधिगम कोचिंग सेंटर” को ध्वस्त कर राज्य में “बुलडोजर काँप” के नाम से भी ख्याति पाई। उनके कार्यकाल में शोले फिल्म का यह डायलॉग भी पॉपुलर हुआ जिसमें भूमाफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं को उनके परिवार वाले सीख देते नजर आते हैं कि “बेटा!! अवैध निर्माण मत करना, नहीं तो सैनी का बुलडोजर आ जाएगा”

जयपुर में अधिगम कोचिंग

पर बुलडोजर, 5 मंज़िल ध्वस्त



जेडीए ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर

जयपुर

अवैध निर्माण पर JDA की कार्रवाई



जयपुर में अवैध निर्माण ध्वस्त



श्री सैनी के
स्वर्णिम
कार्यकाल मे
प्रवर्तन
प्रकोष्ठ की
उपलब्धियां।

श्री सैनी के
कार्यकाल मे



एक व्यवस्थित पारदर्शी और जवाबदेही मेकेनिजम खड़ा किया गया,जिसके तहत संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ,jda प्रवर्तन को प्राप्त होने वाले शिकायतों के पूर्ण निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की गई।उनके कार्यकाल मे 92 बड़े अवैध फ्लेटस/व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स व

282 अवैध डूप्लेक्स को ध्वस्त किया गया।179 (8 भवनों मे पुनः सीलिंग) अवैध भवनों को पुख्ता सील लिया गया व 2916 अन्य अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।उनके कार्यकाल मे JDA एक्ट की धारा 32-33 के तहत कुल 7195 और धारा 34 क के तहत कुल 263 नोटिस जारी किए गए। उनके कार्यकाल मे 2434.5 बीघा सरकारी जमीन को अवैध



अतिक्रमण-कब्जामुक्त करवाया गया और JDA एक्ट की धारा 72 के तहत कुल 4456 नोटिस जारी किए गए।यही नहीं उनके कार्यकाल मे 823 अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया।

उनके द्वारा कई सरकारी भूखंडों/भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाने से,फलतः उनकी नीलामी कामयाब हो पाई और इसके चलते JDA को करोड़ों रुपयों के राजस्व की प्राप्ति संभव हो पाई।उनके कार्यकाल मे 31,18,782/-रुपये की वसूली अतिक्रमियों से वसूले जा चुके है और 75,73,407/- रुपये की वसूली प्रक्रियाधीन है।उनके कार्यकाल मे 6,18,07,000/- रुपये JDA एक्ट की धारा 32,33,72 के तहत चालान के रूप मे जमा करवाने पर जुर्माना राशि वसूली गई।इसी प्रकार अवैध निर्माण मे प्रयुक्त औजार-सामान की जब्ती पर बेचान पेटे 11,66,755/- एवं जुर्माना पेटे 5,98,100/- की राशि JDA कोष मे जमा करवाई गई।